# <u>इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र (आई पी वी एम) पुरस्कार</u>

वर्ष 2008 के लिए इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कारों हेतु व्यक्तियों तथा संस्थाओं से, जिन्होंने वनीकरण और परती भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी एवं उत्कृष्ट योगदान किया है, नामांकन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पुरस्कारों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

**(क)** व्यक्तियों/संस्थाओं को **चार** श्रेणियों (प्रोफार्मा देखें) के अंतर्गत मेडल और प्रशस्ति पत्र सहित 2,50,000/-रु0 (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

**(ख)** पूर्व में किए गए कार्य, नवीनता/सृजनात्मकता, ग्रास रुट स्तर के संगठन स्थापित करने के लिए, मृदा और नमी संरक्षण कार्य और अन्य संबंधित कार्यकलाप, लक्षित समूहों जैसे समाज के महिलाओं/कमजोर वर्गों, अगम्य/दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों, व्यक्तिगत साहस से निर्धारित कर्तव्यों के अपेक्षित दायित्वों, जुटाए गए संसाधनों के संबंध में वास्तविक प्रभाव, शैक्षिक महत्व और जागरुकता उत्पन्न करने जैसे मानदण्डों के आधार पर वनीकरण एवं परती भूमि विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए नामांकनों पर विचार और उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

**(ग)** सरकारी सेवकों, सरकारों के तहत संस्थान/संगठन से नामांकन, संबंधित राज्य सरकारों/सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रायोजित होने चाहिए और विभाग/संस्थान/संगठन के मुख्य की टिप्पणियों सहित अग्रेषित किए जाएंगे और समग्र मूल्यांकन हेतु संबंधित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजे जाने चाहिए।

संयुक्त वन प्रबंध समितियों, गैर सरकारी संस्थानों/संगठनों/व्यक्तियों से प्राप्त नामांकन संबंधित राज्य सरकारों/सरकारी अभिकरणों/पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित किए जाने चाहिए और पदनामित मूल्यांकनकर्ताओं को भेजे जाएं।

**(घ)** जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान आई पी वी एम पुरस्कार मिले हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। आवेदन कर्ता किसी भी श्रेणी में कुल मिलाकर अधिक से अधिक तीन आई पी वी एम पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, जिसमें दो पुरस्कारों के बीच का न्यूनतम अंतराल तीन वर्ष होगा।

**(ङ)** पूर्ववर्ती वर्ष की 31 दिसम्बर को समाप्त पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान इस पुरस्कार हेतु नामिति द्वारा किए गए कार्यों पर विचार किया जाएगा।

**(च)** बागानों प्रजातियों की प्रमुखता वाले नामांकनों को पात्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि बागानी प्रजातियों के लिए निश्चित वाणिज्यक कारण होते हैं।

**(छ)** निगमित क्षेत्र के मामले में, आवेदन कर्ता द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत किए जाने वाले अनिवार्य रोपण की सीमा को पृथक रूप से दर्शाया जाए तथा इसे पुरस्कार के लिए विचारार्थ क्षेत्र से बाहर रखा जाए।

**(ज)** आवेदन कर्ता जिसमें निगमित क्षेत्र भी शामिल हैं, द्वारा नितांत रुप से वाणिज्यिक आधार पर किए गए वृक्षरोपण पर विचार नहीं किया जाएगा, वृक्षरोपण कार्यकलापों में निगमित क्षेत्र साहित आवेदन कर्ता का सामाजिक दायित्व स्पष्ट रुप से परिलक्षित होना चाहिए।

**(झ)** ऐसे आवेदनकर्ताओं को विशेष रुप से मान्यता दी जाएगी जिन्होंने फ्लाई एश वाले क्षेत्रों में वृक्षरोपण किया हो।

**(ञ)** आवेदनों को अपात्र ठहराने वाली स्थितियां

(क) उपर्युक्त पैरा-ग में यथा निर्धारित अनुसार प्रायोजित न किए नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में न भरे गए/किसी भी तरह से अपूर्ण/अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) सूचना को छिपाने अथवा मिथ्या जानकारी देने वाले तथा भ्रामक सूचना देने वाले आवेदक, इस मंत्रालय के इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार अथवा कोई अन्य पुरसकार दिए जाने हेतु अयोग्य ठहराये जाएंगे।

2. इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, 2008 के लिए प्रपत्र मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा पर्यावरण भवन में मंत्रालय के स्वागत कक्ष से मंत्रालय के क्षेत्रीय केन्द्रों (क्षेत्रीय केन्द्रों के पते प्रपत्र के अंत में दिए हैं) से प्राप्त किया जा सकता है। विधिवत् रुप से पूरी तरह से दस्तावेजित नामांकन के आवेदन पत्र विभाग/संस्थान/संगठन के अध्यक्ष की टिप्पणी सहित केवल हार्ड कॉपी में और विधिवत रुप में प्रायोजित तथा संबंधित राज्य के पदनामित मूल्यांकनकर्ता को 7 सितम्बर, 2009 तक या उससे पहले डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। इसके बाद मूल्यांकनकर्ता संपूर्ण मूल्यांकन सहित निदेशक(एन ए ई बी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पहला तल, कमरा सं. 116 पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को 25 सितम्बर, 2009 तक या उससे पहले प्रेषित किए जा सकते हैं ।

पदनामित मूल्यांकनकर्ताओं की पता सूची (जहाँ आई पी वी एम पुरस्कार के लिए आवेदन भेजे जाने हैं) प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www/envfor.nic. in पर उपलब्ध है।

## नामांकन के लिए प्रपत्र

1. वर्ष जिसके लिए नामांकन किया जाना है: 2008

2. पुरस्कार की श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया है: (   श्रेणी पर चिन्ह लगांए)

   I. सरकारी कर्मचारी सहित व्यक्तिगत

   II. सरकार के अन्तर्गत संस्थान/संगठन

   III. संयुक्त वन प्रबंधन समिति

   IV. गैर-सरकारी संस्थान/संगठन

3. नामित व्यक्ति का नाम (मोटे अक्षरों में):

4. पूर्ण पता, दूरभाष न.:

5. प्रायोजक का नाम व पता, फोन नं. सहित
(कॉलम 12 को भरना सुनिश्चित करें)

6. अंगीकृत प्रक्रिया का संक्षिप्त ब्यौरा (एक पृष्ठ या 300 शब्दों से अधिक न हो)

6.1 कार्यों का ब्यौरा:

6.1.1 कार्य / परियोजना का स्थान

6.2 किए गए कार्य की किस्म / सीमा (सौ शब्दों में वर्णन करें और निम्नलिखित तालिका को भी भरें):

| भूमि का स्वामित्व जहां कार्य शुरु किया गया है | हैक्टेयर में क्षेत्र | क्षेत्र का विवरण: क्या क्षेत्र फ्लाई एश/कठिन क्षेत्र/परती भूमि/चट्टान/दलदली है। |
|---|---|---|
| निजी भूमि | | |
| स्वामित्व भूमि | | |
| सामुदायिक भूमि | | |
| राजस्व भूमि | | |

6.1.3 कार्य की मदें (प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा दें)

6.1.3.1 पौधशालांए व पौधरोपण

**2008 के पुरस्कारों के लिए**

| पौधशालाएं व पौधरोपण | 2006 | 2007 | 2008 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| स्थापित पौधशाओं की संख्या इन पौधशालाओं में उगाई गई पौध की संख्या,<br>लोगों को वितरित किए गए पौधों की संख्या,<br>पौधरोपित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) और लगाई गई पौध की संख्या | | | | |

6.2.1 नवाचार/अग्रणी कार्य (100 शब्दों से अधिक नहीं)

6.2.2 पुनरावृत्ति (क्या अन्य स्थानों पर कार्य दोबारा सफलतापूर्वक किए गए)

6.2.3 मृदा और नमी संरक्षण कार्य और अन्य संबंधित गतिविधियां

6.2.4 पौधरोपण की विविध - प्रजातियां (**प्रजातियों के नाम, वृक्षों की संख्या और प्रजातिवार रोपित क्षेत्र की सीमा का स्पष्ट उल्लेख करें)**

6.2.5 आधार स्तर के संगठनों की स्थापना (जैसे वृक्ष उगाने वालों की सहकारी-समितियां, स्वयं सहायता प्राप्त समूह इत्यादि)

6.2.6 स्थानीय समुदायों की सहभागिता

6.2.7 विस्तार और जागरुकता पैदा करना

6.2.8 परती भूमि का सुधार

6.3 जुटाए गए संसाधनों की सीमा, लागत प्रभाविता और साथ ही साथ जुटाए गए संसाधन

6.4 रोपे गए पौधों के पनपने का प्रतिशत

7. उपरोक्त कॉलम 5 में उल्लिखित कार्यों के लिए निधियों के योगदान का ब्यौरा

**2008 के पुरस्कारों के लिए**

| अवधि | निधियों के स्रोत | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **स्वत: भुगतान की राशि रुपयों में** | **दान की राशि रुपयों में** | **सहायता अनुदान की राशि रुपयों में** | **बाह्य स्रोत की राशि रुपयों में** | **कुल राशि** |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
| कुल योग | | | | | |

8. श्रेणी सहित उल्लेख करते हुए लाभार्थियों की संख्या अर्थात

महिला :
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति :
छोटे और सीमांत किसान :
भूमिविहीन श्रमिक :
अन्य :

9. उपरोक्त उल्लिखित किए गए कार्यों से संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रकाशन / आलेख / फोटो इत्यादि (सार संलग्न करें) :

10. (क) विगत समय में ऐसी उपलब्धियों अथवा इसी प्रकार की अन्य उपलब्धियों के लिए प्राप्त किया गया कोई पुरस्कार।

(ख) क्या कोई इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार किसी वर्ग में प्राप्त किया गया, यदि हां तो उसका ब्यौरा दें कि किस श्रेणी में प्राप्त किया गया तथा किस वर्ष में यह दिया गया था।

11. अन्य उपलब्धियां (यदि कोई हों) तथा नामित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के नवीन पहलू ।

**12. सत्यापन:**
**प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी विवरण मेरे ज्ञान के अनुसार सही हैं तथा उन्हें सत्य होने की स्पष्ट सूझबूझ से दिया गया है।**

स्थान.....................
दिनांक...................

**(नामित व्यक्ति के पूरे नाम सहित हस्ताक्षर)**

13. प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिशें (नामित व्यक्ति की अग्रणी तथा नवीन उपलब्धियों के संदर्भ में)

स्थान……………….
दिनांक………………

**(प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर)**
नाम,पदनाम और पता

14. विभाग/संस्थान/संगठन के अध्यक्ष की टिप्पाणियाँ (सरकारी कर्मचारियों, सरकार के अन्तर्गत संस्थानों/संगठनों के मामले में लागू)

स्थान……………….
दिनांक………………

**(विभाग/संस्थान/संगठन विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)**
नाम,पदनाम और पता

15. उपलब्धियों के संबंध में प्रपत्र में नामिति व्यक्ति द्वारा किए गए दावे के अनुसार मूल्यांकनकर्ता की संम्पूर्ण टिप्पणियाँ ( 300 शब्दों से अधिक न हों)

स्थान……………….
दिनांक……………….

**(मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर)**
नाम, पदनाम और पता

**(मूल्यांकन करने वाले संगठन की सील)**